

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय सुरक्षित : 19 फरवरी, 2014

उद्घोषित निर्णय : 05 मार्च 2014

आ.प्र.अ. (मूल पक्ष) 163/2010 और सि.वि.आ. 18319/2010 (क्रॉस-
ऑब्जेक्शन)

रियल हाउस डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड व अन्य अपीलार्थीगण

द्वारा: श्री पी.एन. मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता,
सुश्री महिमा सिन्हा और श्री अरुणव
पटनायक, अधिवक्तागण द्वारा
निर्देशित।

बनाम

पेरनोड रिचर्ड एस.ए. व अन्य प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री हेमंत सिंह, श्री सचिन गुप्ता और
सुश्री शशि ओझा, अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप नंदराजोग

माननीय न्यायमूर्ति श्री जयंत नाथ

न्या. जयंत नाथ,

1. वर्तमान अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 15 दिसंबर 2009 के आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम की धारा 10 सहित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLIII नियम 1 के तहत दायर की गई है, जो प्रत्यर्थी द्वारा आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सहित सि.प्र.स. की धारा 151 के तहत दायर अंतर. आ. सं. 12700/2008 और इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी के आधार पर वादपत्र को खारिज करने हेतु अपीलार्थी द्वारा सि.प्र.स. के आदेश VII नियम 11 के अंतर्गत अंतर. आ. सं. 16299/2009 में पारित किया गया था।

2. प्रत्यर्थीगण ने एक वाद दायर किया जिसमें प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण को 'रियल' लोगो और लेबल या किसी व्यापार चिह्न/लेबल से युक्त आक्षेपित व्यापार चिह्न के अंतर्गत मादक पेय या किसी अन्य संबद्ध सामान के विनिर्माण, विक्रय आदि से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री की मांग की गई है, जो कि वादी के व्यापार चिह्न के समान भ्रामक रूप से 'रिचर्ड' लोगो और लेबल से युक्त है, जो प्रत्यर्थीगण/वादी के पंजीकृत व्यापार चिह्न और अन्य संबंधित राहतों का उल्लंघन है।

3. प्रत्यर्थी सं. 2 प्रत्यर्थी सं. 1 की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। प्रत्यर्थी सं. 1 का दावा है कि इसका गठन 1974 में हुआ था और यह वाइन और स्पिरिट्स बाजार में दुनिया की नंबर 2 कंपनी है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत उपस्थिति है और वर्ष 2006-07 में इसका कारोबार 6.4 बिलियन यूरो का था। यह कहा गया है कि इसके उत्पाद 110 देशों में

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और प्रशंसित ब्रांडों के तहत बेचे जाते हैं। 'रिचर्ड' को एक हल्का, प्राकृतिक ताज़ा पेय बताया गया है जिसे 1932 में तैयार किया गया था। यह एक सौंफ के स्वाद वाला एपेरिटिफ है जिसे एक विशिष्ट 'रिचर्ड' लोगो/लेबल के तहत बेचा जाता है। लोगो/लेबल में कई विशिष्ट विशेषताएं शामिल बताई गई हैं जो एक अद्वितीय, विशिष्ट और प्रभावशाली व्यापार चिह्न का निर्माण करती हैं। यह कहा गया है कि 'रिचर्ड' और इसके एनीज़ फ्लेवर वाले एपेरिटिफ को उक्त लेबल के तहत बोटलबंद और विपणन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं जो एक साथ मिलकर एक विशिष्ट, प्रभावशाली और अद्वितीय व्यापार चिह्न का निर्माण करती हैं। लोगो में निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हैं:-

- i. लोगो में सिल्वर बैकग्राउंड और नीली पती वाले आउटलाइन सहित स्टाइलिश अकेंथस पत्तियां शामिल हैं;
- ii. शील्ड डिवाइस के केंद्रीय भाग पर सफेद रंग में अंक "45" सहित लाल बैकग्राउंड और ब्लू बॉर्डर वाला एक गोलाकार उपकरण दर्शाया गया है;
- iii. ब्लू बॉर्डर वाले सिल्वर रिबन के घूमते हुए स्क्रॉल का एक सेट लाल गोलाकार उपकरण के दोनों ओर से बाहर की ओर खुलता है, जिस पर ब्लू बोल्ड अक्षरों में "एपेरिटिस" और "एनीस" छपा होता है।"

रिचर्ड लेबल की आवश्यक विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

- i. ऊर्ध्वाधर रूप से लम्बा लेबल सफेद, ब्लू, सिल्वर और लाल रंग के संयोजन से बना है;

- ii. लेबल में एक संपूर्ण बैकग्राउंड सफेद है, जिसमें ऊपरी और निचले भाग पर दो चौड़ी नीली पट्टियाँ दिखाई देती हैं, जिनमें से प्रत्येक में सिल्वर और ब्लू रंग का मोटा बॉर्डर होता है;
- iii. व्यापार चिह्न रिचर्ड ऊपरी नीली पट्टी पर नीली बैकग्राउंड पर मोटे और बोल्ड सफेद अक्षरों में दिखाई देता है, जबकि "फ्रांस" निचली नीली पट्टी पर बीच-बीच में सफेद मोटे अक्षरों में दिखाई देता है;
- iv. लेबल के केंद्रीय भाग में पतली सिल्वर की ऊर्ध्वाधर पिन धारियों सहित एक सफेद बैकग्राउंड है, जिस पर रिचर्ड लोगो को ऊपर वर्णित अनुसार दर्शाया गया है;
- v. नीली पट्टी के नीचे निचले भाग में सफेद बैकग्राउंड पर ब्लू और लाल अक्षरों में वर्णनात्मक बातें हैं।

4. उक्त "रिचर्ड" लोगो और लेबल, जिसे शिकायत में चित्रात्मक रूप से दर्शाया गया है, प्रत्यर्थी सं. 1 के पक्ष में कई देशों में पंजीकृत व्यापार चिह्न बताया गया है। यह भी कहा गया है कि यह प्रत्यर्थी सं. 1 के नाम पर भारत में पंजीकृत है।

5. यह भी कहा गया है कि मूल कलात्मक कार्य में कॉपीराइट भारत में भी संरक्षित है क्योंकि फ्रांस बर्न कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता और सदस्य है।

6. वादपत्र में टर्नओवर, ख्याति, प्रसिद्धि, ब्रांड में किए गए निवेश आदि का विस्तृत विवरण दिया गया है। वर्तमान आदेश के उद्देश्य के लिए उक्त विवरण को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं हो सकता है।

7. यह कहा गया है कि सितंबर 2008 के पहले सप्ताह में, प्रत्यर्थीगण को पता चला कि अपीलार्थी अपनी व्हिस्की को "रियल" व्यापार चिह्न के तहत बेच

रहे थे और बिक्री के लिए पेश कर रहे थे, जिसमें 'रिचर्ड' एपेरिटिफ के समान/समरूप व्यापार चिह्न वाली बोतलें शामिल थीं। मादक पेय पर लेबल और लोगो लगे हुए हैं जो भ्रामक रूप से समरूप हैं और प्रत्यर्थीगण के 'रिचर्ड' और लोगो और लेबल की एक रंगीन नकल है। इसलिए वर्तमान वाद दायर किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थीगण द्वारा भ्रामक रूप से समान लेबल या लोगो का उपयोग अनिवार्य रूप से उपभोक्ताओं के बीच भ्रम/धोखे की स्थिति पैदा करेगा। यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थीगण द्वारा आपत्तिजनक व्यापार चिह्न को अपनाना और अनधिकृत उपयोग करना (क) व्यापार चिह्न का उल्लंघन (ख) पासिंग ऑफ (ग) कॉपीराइट का उल्लंघन (घ) तनुकरण और (ङ) अनुचित प्रतिस्पर्धा का गठन करता है।

8. अपीलार्थी ने उपस्थित होकर प्रत्यर्थीगण के कथनों का खंडन किया। यह कहा गया है कि अपीलार्थी 'रियल ग्रुप ऑफ कंपनीज' का हिस्सा हैं, जिसकी स्थापना 1947 में गोवा के पणजी में 'कैफे रियल' नाम से शाकाहारी रेस्तरां स्थापित करके की गई थी। व्यवसाय का विस्तार हुआ और 1961 में 'रियल ड्रिंक' ब्रांड नाम के तहत वातित जल के निर्माण और अन्य व्यापार का व्यवसाय शुरू किया गया। 'रियल' शब्द को प्रत्येक कंपनी में पहले से जोड़ा गया है ताकि इसे रियल ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक विशिष्ट व्यापार चिह्न दिया जा सके। 'आर' लोगो का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वर्ष 1974 में विकसित किया गया बताया गया है। आईएमएफएल और काउंटी शराब का निर्माण 1974 में शुरू हुआ बताया गया है। यह कहा गया है कि रियल ग्रुप

ऑफ कंपनीज 'रियल' ब्रांड नाम के तहत पाम फेनी, काजू फेनी बना रही है और आईएमएफएल व्हिस्की, ब्रांडी, रम जैसे उत्पादों को 'रियल' लेबल का इस्तेमाल करके बना रही है, जिस पर एक क्राउन के साथ 'आर' लोगो बना हुआ है। उत्पादों को केवल गोवा राज्य में बेचा और उपभोग किया जाना बताया गया है। यह भी कहा गया है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थीगण के उत्पाद के समान या समरूप स्वाद वाले किसी भी एनीज़ फ्लेवर वाले एपेरिटिफ का निर्माण, बिक्री या वितरण नहीं करते हैं। यह भी कहा गया है कि अपीलार्थीगण और प्रत्यर्थीगण के लेबल समरूप नहीं हैं।

9. 16 दिसंबर, 2008 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि अपीलार्थीगण को 31 दिसंबर, 2008 तक पहले के लेबल का उपयोग करने की अनुमति है। उक्त तिथि के बाद अपीलार्थीगण को एक नए लेबल के तहत अपने उत्पादों का विपणन करने की अनुमति दी गई थी, जिसे उस दिन न्यायालय में दिखाया गया था जो बैंगनी और सफेद रंग का है (अपीलार्थी द्वारा 12 दिसंबर, 2008 को न्यायालय में पेश किए गए इस नए लेबल को इसके बाद "नया लेबल" कहा जाता है)। यह आदेश यह स्पष्ट करते हुए पारित किया गया था कि उक्त आदेश का मतलब यह नहीं था कि न्यायालय ने उस दिन न्यायालय में पेश किए गए नए लेबल के बारे में अपीलार्थीगण के रुख को स्वीकार कर लिया।

10. 24 सितंबर, 2009 को वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बयान दिया गया कि वह पासिंग ऑफ और कॉपीराइट के उल्लंघन के संबंध में

वर्तमान वाद पर जोर नहीं दे रहे हैं। उस तारीख को दलीलें सुनी गईं और निर्णय सुरक्षित रख लिया गया। बाद में 19 मार्च, 2010 के आदेश के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि प्रत्यर्थी केवल पासिंग ऑफ की राहत पर जोर नहीं दे रहे हैं।

11. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 15 दिसंबर, 2009 के निर्णय में निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थीगण द्वारा इस्तेमाल किया गया पुराना लेबल प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थीगण के लेबल के समान था और अपीलार्थीगण को उक्त वाद के लंबित रहने के दौरान पुराने लेबल का उपयोग करने से रोक दिया, जो वर्तमान वाद का विषय था। 16 दिसंबर, 2008 को न्यायालय में प्रस्तुत नए लेबल के संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि नए लेबल में अभी भी प्रत्यर्थीगण के लेबल के समान कुछ आवश्यक विशेषताएं हैं और किसी भी भ्रम या धोखे से बचने के लिए, अपीलार्थीगण को नेवी ब्लू रंग बदलने की शर्त के अधीन नए लेबल का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। यह स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी उक्त पट्टी का उपयोग गहरे नेवी ब्लू रंग को छोड़कर किसी अन्य रंग में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अपीलार्थीगण द्वारा सि.प्र.स. के आदेश VII नियम 11 के तहत अंतर. आ. सं. 16299/2009 के तहत दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि इस न्यायालय को व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 134(2) के तहत वर्तमान वाद पर विचार करने का प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार प्राप्त है और अपीलार्थीगण द्वारा उठाया गया मुद्दा

कानून और तथ्यों का मिश्रित प्रश्न था और इसे सि.प्र.स. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन में नहीं निपटाया जा सकता।

12. इसलिए वर्तमान अपील दिनांक 15 दिसंबर, 2009 के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

13. प्रत्यर्थीगण ने सि.प्र.स. के आदेश XLI नियम 22 के सहपठित आदेश XLIII नियम 1 के तहत क्रॉस-ऑब्जेक्शन भी दायर किए हैं, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देशों को चुनौती दी गई है, जिसमें अपीलार्थीगण को नेवी ब्लू के अलावा किसी अन्य रंग में संशोधित 'रियल' लेबल (नया लेबल) का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

14. इस न्यायालय ने 15 अप्रैल, 2010 को नए लेबल के संबंध में निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

“दोनों लेबलों की दृश्य उपस्थिति पर, हमें उनके बीच कोई समानता नहीं दिखती। हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को अपने लेबल पर नेवी ब्लू रंग का उपयोग करने से रोक दिया है।

हमारा मत है कि यदि दोनों लेबलों के बीच कोई समानता नहीं है, तो नेवी ब्लू रंग के उपयोग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यह कल्पना करना कठिन है कि प्रत्यर्थीगण के पास सभी मादक पेय पदार्थों के लेबल पर नेवी ब्लू रंग के उपयोग पर कॉपीराइट है।

इसलिए, हम अपील के निपटान तक आक्षेपित निर्णय और आदेश के संचालन पर रोक लगाते हैं।”

15. मामले की सुनवाई 19 फरवरी, 2014 को हुई और निर्णय सुरक्षित रखा गया। पक्षकारगण को लिखित दलीलें दाखिल करने का अवसर दिया गया। आवश्यक कार्रवाई की गई।

16. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने शुरू में दलील दी कि वे उस मूल लेबल का उपयोग करने का इरादा नहीं रखते हैं जिसके आधार पर वाद दायर किया गया था और इस हद तक, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 15 दिसंबर, 2009 को पारित निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती नहीं दी जाती है। हालांकि, इस बात पर जोर दिया जाता है कि निषेधाज्ञा आदेश का दूसरा भाग अपीलार्थीगण को नेवी ब्लू रंग की पट्टियों के परिवर्तन की शर्त के अधीन नए लेबल का उपयोग करने की अनुमति देता है, जो भौतिक रूप से गलत है और इसे रद्द करने की आवश्यकता है।

17. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में तथा लिखित प्रस्तुतियों में दृढ़तापूर्वक आग्रह किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा अपने आईएमएफएल व्हिस्की पर उपयोग किया जा रहा ब्लू लेबल उनके व्यापार चिह्न का एक आंतरिक भाग है तथा समय के साथ 'रियल ब्लू व्हिस्की' के उपभोक्ता अपीलार्थीगण की व्हिस्की के लेबल में ब्लू रंग से जुड़ गए हैं।

18. यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थीगण के पंजीकृत व्यापार चिह्न में कोई रंग नहीं है और इसलिए इस सीमा तक, आरोपित आदेश गलत है क्योंकि इसने अपीलार्थीगण को नेवी ब्लू रंग का उपयोग करने से रोक दिया है। यह भी कहा गया है कि अपीलार्थीगण के लेबल का स्वरूप व्यापार के लिए समान है और

शराब और अन्य पेय पदार्थों के गणनीय लेबल सफेद रंग के साथ ब्लू रंग के हैं। यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थीगण ऐसी विशेषताओं के उपयोग पर किसी भी विशिष्टता का दावा नहीं कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थीगण के उत्पाद एपेरिटिफ की कीमत 2,000/- रुपए प्रति बोतल से अधिक है जबकि अपीलार्थीगण की व्हिस्की की कीमत 60/- रुपए प्रति बोतल है और इसलिए इसका निर्माण और उपभोग केवल गोवा राज्य में निम्न आय वर्ग द्वारा ही किया जाता है। यह भी कहा गया है कि यह अत्यधिक असंभव और असंभव है कि प्रत्यर्थीगण के उच्च वर्ग के उपभोक्ता जो एपेरिटिफ खरीदने का इरादा रखते हैं, वे अपीलार्थीगण की रियल हाउस व्हिस्की द्वारा धोखा खा जाएंगे। यह भी बहुत असंभव है कि एक उपभोक्ता जो एपेरिटिफ खरीदने का इरादा रखता है, वह व्हिस्की खरीद ले।

19. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में तथा लिखित प्रस्तुतियों में कहा है कि अपीलार्थीगण ने बेईमानी से प्रत्यर्थीगण के लेबल/मार्क की नकल की है, जो प्रत्यर्थीगण के पंजीकृत व्यापार चिह्न का उल्लंघन है। अपीलार्थीगण के पुराने लेबल के संबंध में यह कहा गया है कि यह एक स्पष्ट नकल है, जो प्रत्यर्थीगण के उत्पादों की ख्याति और प्रसिद्धि पर व्यापार करने के गुप्त और अनैतिक मकसद से बेईमान इरादे को साबित करता है। यह भी कहा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए गए नए लेबल में भी उन विशेषताओं का संयोजन बरकरार रखा गया है, जिन्हें अपीलार्थीगण ने मूल रूप से प्रत्यर्थीगण के पंजीकृत लेबल/चिह्न से कॉपी किया

था। यह भी कहा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नए लेबल पर उचित रूप से रोक लगाई गई है। यह भी कहा गया है कि प्रत्यर्थीगण के लेबल, चिह्न, पंजीकरण में कोई रंग सीमा नहीं है। इसलिए, व्यापार चिह्न अधिनियम की धारा 10 को ध्यान में रखते हुए यह सभी रंगों पर लागू होता है। इसलिए किसी भी रंग संयोजन में नकल के मामले में उल्लंघन होगा और इस सीमा तक, यह कहा गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को नेवी ब्लू के अलावा अन्य रंगों में संशोधित लेबल का उपयोग करने की अनुमति देकर गलती की है। इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए और प्रति-आपत्तियों को स्वीकार किया जाए तथा अपीलार्थीगण को नेवी ब्लू के अलावा किसी अन्य रंग के तहत नए लेबल का उपयोग करने की अनुमति देने वाले आक्षेपित आदेश द्वारा दी गई अनुमति को संशोधित किया जाए तथा अपीलार्थीगण को किसी भी रंग में नए लेबल का उपयोग करने से रोका जाए।

20. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने (2011) 4 एससीसी 85 टी.वी. वेणुगोपाल बनाम उषोदय एंटरप्राइजेज लिमिटेड व अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि "ईनाडु" शब्द को अपना स्फुट रूप से धोखाधड़ी है और शुरू से ही दुर्भावनापूर्ण प्रयास है, क्योंकि उस मामले में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी कंपनी की प्रसिद्धि और ख्याति का फायदा उठाने की कोशिश की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अपीलार्थी को अपना व्यवसाय जारी

रखने की अनुमति देना वास्तव में अपीलार्थी के बेईमान, अवैध और गुप्त आचरण पर न्यायालय की स्वीकृति की मुहर लगाना होगा। न्यायालय ने आगे कहा कि व्यापार और व्यवसाय की दुनिया में ईमानदारी और निष्पक्षता नीतियों का आधार होनी चाहिए। (2007) 6 एससीसी 1 हेंज इटालिया व अन्य बनाम डाबर इंडिया लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया गया है, जहां न्यायालय ने दोहराया था कि समानता के सिद्धांतों को बहुत कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता है और यदि प्रथम दृष्टया यह दर्शाया जा सकता है कि माल को पासिंग ऑफ करने में प्रतिवादी की ओर से बेईमानी का इरादा था, तो सामान्यतः निषेधाज्ञा का पालन किया जाना चाहिए।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता एआईआर 1965 एससी 980 कविराज पंडित दुर्गा दत्त शर्मा बनाम नवरत्न फार्मास्युटिकल लैबोरेटरीज के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा करते हैं, जहां न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां नकल है, वहां यह साबित करने के लिए किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है कि वादी के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। एआईआर 1978 एससी 1613 आर. जी. आनंद बनाम मेसर्स डीलक्स फिल्मस व अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया जाता है, जहां न्यायालय ने माना था कि कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए सबसे सुरक्षित और

सुनिश्चित परीक्षणों में से एक यह देखना है कि क्या पाठक, प्रेक्षक या दर्शक दोनों कार्यों को पढ़ने या देखने के बाद स्पष्ट रूप से इस राय से सहमत है और उसे यह स्पष्ट धारणा मिलती है कि बाद का काम मूल की नकल प्रतीत होता है।

21. वर्तमान मामले में जहां तक प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर वाद का विषय रहे पहले लेबल का सवाल है, कोई विवाद नहीं बचा है क्योंकि अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थीगण ने उक्त लेबल का उपयोग करना बंद कर दिया है। इसलिए उस सीमा तक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

22. अब हम नए लेबल पर आते हैं जिसे अपीलार्थीगण ने न्यायालय में दायर किया था। आरोपित आदेश अपीलार्थीगण को उक्त नए लेबल का उपयोग करने की अनुमति देता है बशर्ते कि उक्त लेबल की रंग योजना नेवी ब्लू से किसी अन्य रंग में बदल दी जाए। हम उन दो लेबलों पर एक नज़र डाल सकते हैं जो अब वर्तमान विवाद का विषय हैं।



23. विद्वान एकल न्यायाधीश ने (1951) 68 पेटेंट मामलों की रिपोर्ट 271(2) टाव मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड बनाम नोटेक इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड व अन्य के मामले में न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:-

“किसी व्यापार चिह्न का उल्लंघन तब होता है जब पंजीकृत स्वामी या अधिकृत उपयोगकर्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति पंजीकरण द्वारा कवर किए गए सामान के संबंध में व्यापार चिह्न के एक या अधिक आवश्यक विवरणों का उपयोग करता है। किसी आवश्यक विशेषता की पहचान आंशिक रूप से न्यायालय के अपने निर्णय पर और आंशिक रूप से न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्य के भार पर निर्भर करती है।”

24. इसी प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने (1973) आईएलआर दिल्ली 393 मेसर्स एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम हिंद साइकिल लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा किया, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया था:-

"पंजीकृत व्यापार चिह्न के कथित उल्लंघन के लिए कार्रवाई में, सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए कि प्रतिवादी का आक्षेपित चिह्न वादी के पंजीकृत चिह्न के समान है या नहीं। यदि चिह्न समान पाया जाता है, तो कोई और प्रश्न नहीं उठता है, और यह माना जाना चाहिए कि उल्लंघन हुआ था। यदि प्रतिवादी का चिह्न समान नहीं है, तो यह देखा जाना चाहिए कि प्रतिवादी का चिह्न इस अर्थ में भ्रामक रूप से समरूप है कि यह उन वस्तुओं के संबंध में धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है जिनके संबंध में वादी ने अपना चिह्न पंजीकृत कराया है। उस उद्देश्य के लिए, दोनों चिह्नों की तुलना करनी होगी, उन्हें एक साथ रखकर नहीं। लेकिन खुद से यह पूछकर कि क्या प्रासंगिक आस-पास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी का इस्तेमाल किया गया चिह्न वादी के चिह्न के समरूप है, जैसा कि इसे सामान्य याददाश्त वाले लोगों द्वारा अपनी सामान्य खामियों के साथ याद किया जाएगा, और फिर यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या प्रतिवादी का चिह्न धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है।"

25. विवादित चिह्न/लेबल पर एक नज़र डालने से पता चलता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थीगण द्वारा वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा नया लेबल प्रत्यर्थीगण के चिह्न/लेबल के समान है।

अगला कदम यह उठेगा कि क्या चिह्न प्रत्यर्थीगण के चिह्न के साथ भ्रामक रूप से समान है, इस अर्थ में कि यह उन वस्तुओं के संबंध में धोखा देने या भ्रम पैदा करने की संभावना है जिनके संबंध में प्रत्यर्थीगण ने अपना चिह्न पंजीकृत कराया है। यदि हम दोनों चिह्नों की तुलना करें, तो यह स्पष्ट

है कि दोनों चिहनों की आवश्यक विशेषताएँ भिन्न हैं। लेबल के ऊपर और नीचे इस्तेमाल की गई नीली पट्टियों के अलावा, दोनों चिहनों में कोई अन्य समानता नहीं है। प्रत्यर्थागण के ब्रांड की आवश्यक विशेषता '45' संख्या के साथ लाल रंग में छायांकित वृत्त है जो दोनों तरफ घुमावदार स्क्रॉल/आर्म्स के एक सेट के साथ जुड़ा हुआ है। अपीलार्थीगण द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे नए ब्रांड/चिह्न में इनमें से कोई भी आवश्यक विशेषता नहीं है।

26. उपर्युक्त संदर्भ में, इस उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा 62 (1996) डीएलटी 79 (डीबी), केलॉग कंपनी बनाम प्रवीण कुमार भदाभाई एवं अन्य के मामले में की गई टिप्पणियों का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जहां पैरा 22 में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया था:-

“ग्राहक की अपूर्ण स्मृति के तर्क पर विचार करने के बाद, अब हम खरीदारों के वर्ग पर विचार करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण कारक भी है। वे कौन लोग हैं जो 'केलॉग्स' कॉर्न फ्लेक्स खरीदने जाते हैं? प्रथम दृष्टया, हमारी राय में, ये लोग मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग और उससे ऊपर के हैं, जो अंग्रेजी में काफी शिक्षित हैं और 'केलॉग्स' और क्या केलॉग्स नहीं हैं, के बीच अंतर करने में सक्षम हैं। अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस (2डी) (व्यापार चिह्न) (पूरक) पैरा 19 (पृष्ठ 178) में कहा गया है कि इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है:

“कि फास्टनर के ग्राहक परिष्कृत और समझदार हैं, कि प्रतिवादी ने सद्भावना के साथ काम किया है।”

27. इसी प्रकार, उक्त निर्णय के पैरा 28 में की गई टिप्पणियों का भी संदर्भ लिया जा सकता है, जो निम्नानुसार है: -

“परिणामस्वरूप, हमारे प्रथम दृष्टया निष्कर्षों के आधार पर, हम समानता या भ्रम की संभावना की दलील को अस्वीकार करते हैं, हम धोखाधड़ी की दलील को भी अस्वीकार करते हैं, साथ ही अपूर्ण स्मृति पर आधारित दलील को भी अस्वीकार करते हैं। हमारा प्रथम दृष्टया यह मत है कि भले ही बाह्य आवरण समान है, लेकिन केलॉग्स और एआईएमएस एरिस्टो के अलग-अलग नाम प्रमुखता से प्रदर्शित होने से बहुत फर्क पड़ता है और यह विद्वान एकल न्यायाधीश के निषेधाज्ञा से इनकार करने के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।”

28. वर्तमान मामले में भी प्रत्यर्थी का उत्पाद एनिस एपेरिटिफ है जिसकी कीमत 2,000/- रुपए प्रति बोतल से अधिक है। इसे खरीदने वाले ग्राहकों का वर्ग अपीलार्थी की आईएमएफएल व्हिस्की खरीदने वाले वर्ग से पूरी तरह अलग होगा जिसकी कीमत 60/- रुपए प्रति बोतल है।

29. वर्तमान मामले में भी नयी ब्रांड अपीलार्थी के रियल के व्यापार चिह्न/व्यापार लोगो का बहुत ही विशिष्ट और स्पष्ट रूप से उपयोग करता है।

30. प्रथम दृष्टया यह कहना संभव नहीं है कि नया लेबल जिसे अपीलार्थीगण द्वारा 16.12.2008 को पहली बार न्यायालय में दाखिल किया गया था, प्रत्यर्थीगण के व्यापार चिह्न का उल्लंघन करता है।

31. इसलिए हम विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को उक्त सीमा तक संशोधित करते हैं। हम अपीलार्थीगण को 16.12.2008 को न्यायालय में

अपीलार्थीगण द्वारा दाखिल किए गए नया चिन्ह/लेबल को नेवी ब्लू रंग का उपयोग करके उपयोग करने की अनुमति देते हैं। प्रत्यर्थीगण की आपत्तियां खारिज की जाती हैं।

32. चूंकि सि.प्र.स. के आदेश 7 नियम 11, के तहत अंतर. आ. सं. 16299/2009 को खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश पर कोई तर्क नहीं दिया गया है, इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उक्त आवेदन को खारिज करने के निर्णय को बरकरार रखा जाता है।

जयंत नाथ
(न्यायाधीश)

प्रदीप नंदराजोग
(न्यायाधीश)

05 मार्च, 2014 आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।